न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - लाडनूं

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 2017/09

दायरा दिनांक :- 30-11-2017

प्रार्थीगण

(1) सुरता राम पुत्र मोहन राम मेघवंशी

(2) भूरा राम पुत्र जीवा राम जाट

(3) किसना राम पुत्र सुरता राम जाट

निवासी - सुनारी तहसील - लाडनूं

ब
ना
म

अप्रार्थीगण

(1) गोरधन राम पुत्र ईसरा राम बीरड़ा (फौत)

1/1 नारायणी देवी पत्नी स्व. गोरधन राम

1/2 हरि राम
1/3 गुमाना राम
1/4 आपण राम
1/5 हजारी राम
} पुत्रगण स्व. गोरधन राम

1/6 परमा पुत्र स्व. गोरधन राम

1/7 पतासी
1/8 केसर
1/9 राजू
} पुत्रियां स्व. गोरधन राम

(2) किरण कंवर पत्नी मदन सिंह राजपूत

(3) जय सिंह
(4) मनोहर सिंह
} पुत्रगण मदन सिंह राजपूत

(5) माल सिंह
(6) मान सिंह
(7) पवन सिंह
} पुत्रगण मोहन सिंह राजपूत

(8) पना राम पुत्र जीवा राम जाट

(9) नानी देवी पत्नी भूरा राम जाट

(10) मोहन राम
(11) हेमा राम
(12) अमरा राम
(13) सोहन राम
(14) भागीरथ राम
} पुत्रगण डूंगर राम जाट

(15) गीगू देवी पत्नी डूंगर राम जाट

(16) भींवा राम पुत्र गिरधारी राम जाट

(17) रामकरण
(18) बिरदा राम
(19) तिलोक
} पुत्रगण सुरता राम जाट

(20) हरजी राम
(21) भैरु राम
} पुत्रगण गिरधारी राम जाट

निवासीगण - सुनारी तहसील लाडनूं जिला नागौर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :- (1) श्री भोगा राम बुरड़क अधिवक्ता प्रार्थी

(2) श्री महेन्द्र जाखू अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 9 बईवारिसान

(3) श्री चेतन सिंह शेखावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/6

(4) श्री अशोक सिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 4,6,8 व 20

xx2xx

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

xxxxx

—:: निर्णय ::- दिनांक :- 04-08-2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद सुनारी में ग्राम सुनारी से ग्राम मालासी जाने वाले कच्ची रास्ता से फंट कर एक रास्ता अप्रार्थी गोरधन राम के खेत खसरा नम्बर 136 में से होते हुए प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 137, 138, 139, 140, 538/140, 539/140, व खसरा नम्बर 141, 141/509, 510/509, 511/509, 522/509, 525/141, 5[illegible]/141 तक सदीय काल से सुविधाजनक आवागमन के लिए बना हुआ है। प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा संलग्न है जिसमें मार्क ए से बी 16 फुट चौड़ा रास्ता दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 20 परफोरमा अप्रार्थीगण है जो रास्ता घोषित करवाने पर सहमत है। सरहद सुनारी के खेत खसरा नम्बर 136 के मार्क A से लेकर लगातार मार्क बी के भाग खसरा नम्बर 140 के भाग 539/140 की दक्षिणी सीव तक बरंग लाल से दर्शित 16 फुट चौड़ा रास्ता करण घोषित करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण व अन्य परफोरमा अप्रार्थीगण के बादगत खेतों में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। बादगत रास्ता सदीय काल से चालू रास्ता था लेकिन करण घोषित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या एक ने रास्ता को खसरा नम्बर 136 में से बन्द कर दिया। खसरा नम्बर 136 की पश्चिम सीव से मार्क A से लेकर खसरा नम्बर 539/140 दक्षिणी सीव मार्क बी तक 16 फुट चौड़ा रास्ता आवागमन के लिए करण घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अतः सरहद सुनारी के खेत खसरा नम्बर 136 की पश्चिमी सीव मार्क ए से होते हुए नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 137, 138, 139, 140, 538/140, 539/140 में आवागमन के लिए मार्क बी तक 16 फुट चौड़ा रास्ता करण घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप मार्क ए ---- बी" को राजस्व नक्शा में तरमीम किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही के तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 5, 7 को पंजीकृत नोटिस जारी किए गए परन्तु वे न्यायालय में अनुपस्थित रहे।

अप्रार्थीगण संख्या 4, 6, 8 से 20 ने रास्ता के लिए सहमति पेश की।

अप्रार्थी संख्या एक गोरधन राम ने जवाब पेश किया कि नजरी नक्शा में मार्क ए से बी तक रास्ता बताया गया है परन्तु मार्क ए पर किसी प्रकार का करणी रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण मार्क ए से बी तक रास्ता सदीय काल से सुविधाजनक आवागमन के लिए चालू होना स्वयं मान रहे हैं इसलिए करणी रास्ता घोषित करने का अनुतोष इस धारा के तहत नहीं दिया जा सकता है। पुराने बिना करणी रास्ते को खुलवाने के लिए धारा 251 के तहत तहसीलदार कोर्ट को आवेदन करना होता है। इस रास्ता को खुलवाने के लिए प्रार्थीगण की शिकायत पर दिनांक 02.06.2017 को तहसीलदार कोर्ट ने अप्रार्थी संख्या एक के विरुद्ध आदेश पारित किये हैं जिसकी अपील संख्या 48/2017 वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने प्रत्यक्षतः और सारतः उसी विषयवस्तु रास्ते की जगह को लेकर उन्हीं सारभूत विवाद्यक तथ्यों को लेकर समान पक्षकारों के विरुद्ध प्रकरण पेश किया है जो विधिनुसार सही नहीं है। धारा 251-ए के अनुसार नजदीकी रास्ता दिया जाता है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण संख्या 2, 3 के नजदीकी

xx3xv

उपखण्ड अधिकारी
लूणी

xxxx

रास्ता खसरा नम्बर 153 में से लगता है। खसरा नम्बर 153 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। कथाली रास्ता के पास खसरा नम्बर 136 की भूमि नहीं लगती है तथा सरकारी ताल वन विभाग की भूमि है। प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिए अन्य विकल्प रास्ता जवाब के साथ पेश नक्शा में मार्क ABCD तथा BET है जो वर्तमान में भी चालू है तथा द्वितीय नजदीकी रास्ता मार्क EFD तथा F.B.T है जो सबसे नजदीकी रास्ता है। इसके बावजूद अनावश्यक व सुविधानुसार रास्ते की मांग करना गलत है। पुराने रास्ते को कायम घोषित करने का प्रावधान इस धारा में नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करमाया जावे।

प्रार्थना पत्र की कार्यवाही के विचारण के दौरान अप्रार्थी गोरधन राम का निधन हो जाने से इनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया। कायमुकाम 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9 की तरफ से अधिवक्ता श्री महेन्द्र जाखड़ तथा श्री चेतनसिंह शेखावत ने उपस्थिति दी।

प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लाडनूं के द्वारा पेश रिपोर्टों पर अप्रार्थी गोरधन राम के द्वारा समय-समय पर आपत्तियां पेश की तथा निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा SB Civil writ Petition संख्या 8077/2019 गोरधनराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 की अनुपालना में पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार लाडनूं के पत्र क्रमांक राजस्व/2019/1168 दिनांक 29-11-2019 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

बहस समायत की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना पर आधारित रही तथा उन्होंने रास्ता की नितान्त आवश्यकता बताते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में वर्णित कारणों को दोहराते हुए अन्य वैकल्पिक व नजदीकी रास्ता होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2/6 ने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक के कथनों का समर्थन करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 4, 6, 8 से 20 ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की जिसमें सारतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा भी लिखित बहस पेश की जिसमें उनके द्वारा पेश जवाब में वर्णित आपत्तियां मुख्यतः बताई जाकर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तत्संबंधी विधि का अध्ययन किया गया।

xx4xxx

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

XXXXXX

सरहद सुनारी तहसील लाडनूं के आराजी खसरान 137, 138, 139/140, 538/140, 539/140 की भूमि में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 136 में से रास्ता प्राप्त करने की प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 20 दस्तबुर्द कर रहे हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उनकी भूमि में आवागमन का वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक / उनके कायम मुकाम की आपत्ति रही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए के तहत प्रार्थीगण यह अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए इस प्रकार है ...... कोई खातेदारी या खातेदारों का कोई समूह अपनी जोत, या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है .... ।" उक्त प्रकार से एक खातेदार या खातेदारान का समूह अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर रास्ता प्राप्त कर सकता है। अप्रार्थी संख्या एक की आपत्ति स्वीकार्य नहीं बनती है।

अप्रार्थी संख्या एक की अन्य आपत्ति रही है कि प्रार्थीगण की भूमि में पहुंच के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अपनी आपत्ति के समर्थन में अप्रार्थी संख्या एक / उनके कायममुकाम कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाये हैं। तहसीलदार लाडनूं की तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं बताया गया है। साक्ष्यों के अभाव में अप्रार्थी संख्या एक की द्वितीय आपत्ति भी पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि में पहुंच के लिए रास्ता की आत्यन्तिक आवश्यकता है और जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थीगण की जोत में पहुंचने का कोई वैकल्पिक मार्ग निर्दिष्ट नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद सुनारी तहसील लाडनूं के आराजी खसरा नम्बर 137, 138, 139, 140, 538/140, 539/140 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 136 की नक्शा में मार्क A से B प्रदर्शित भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। खसरा नम्बर 136 की रास्ता में जाने वाली भूमि की मालियत का वर्तमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में आकलन कर भूमि की कीमत प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या एक के कायम मुकाम / विधिक वारिसान को उनके हक हिस्से के अनुसार वितरण की कार्यवाही तहसीलदार लाडनूं संपादित करेंगे।

तदुपरान्त राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं